

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

महावीर

बनाम

तहसीलदार

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी

मु0नं0 141 सन् 2025

जीसीएमएस नं. 2025/227

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

5 रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री फतेह सिंह उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 05.05.2025 को पेश हो।

05/05/2025

राजवीर सिंह रावत
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की तामील सम्यक रूप से होना पायी गयी हैं। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थीप्रार्थना पत्र पत्थरगढी पर बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वकील प्रार्थी की प्रकरण में एकपक्षीय बहस पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 14.04.2025 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।


पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एव सीमाज्ञान दिनांकित 14.04.2025 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 14.04.2025 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :-

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम श्यामनगर पटवार हल्का मांकडी तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 301/155 रकबा 0.4050 है0 में प्रार्थी तथा पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि

सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 14.04.2025
पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट
1956 की धारा 128, 111 में वर्णित प्रक्रिया का पालन
करते हुए पत्थरगढी करवाकर विवाद का निस्तारण
करे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने
अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें।
तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर
जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम
हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो। यह निर्णय
आज दिनांक 05.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय
मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)